नो फोर्स-फीडिंग प्लीज

साभार : इंडियन एक्सप्रेस **25 अक्टूबर, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट को अपने राष्ट्रीय गान आदेश पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड के सवाल को सुनना चाहिए। साथ ही सरकार को भी उस पर विचार करना चाहिए।

नवम्बर, 2016 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी सिनेमा हॉल एक फीचर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान चलायेंगे। इससे पहले, सितम्बर में उरी में सेना के बेस पर हमला किया गया था और भारतीय सेना ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइल की। राष्ट्रवाद ने सार्वजनिक रूप से केंद्रीय स्तर प्राप्त किया। सरकार ने हमेशा अपनी नीति पर उठ रहें सवालों से बचने के लिए जवानों को आगे रखा चाहे व सर्जिकल स्ट्राइक हो या विमुद्रिकरण। राष्ट्रवाद का परीक्षण नागरिकों को बाँटने जा रहा था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस बढ़ती हुई खाई का हिस्सा बन रहा था, जिसने नागरिकों को राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी के रूप में चिन्हित करने की मांग की।

हालांकि, 23 अक्टूबर को, एक फिल्म समाज द्वारा 2016 के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड ने पूछा, 'लोगों को अपनी आस्तीन पर अपनी देशभक्ति को क्यों पहनना पड़ रहा है?' यह एक आश्वस्त करने वाला प्रश्न है। जो यह दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं से सवाल करने के लिए स्वतंत्र है, जहाँ वह अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है।

देखा जाये तो वर्ष 2016 के आदेश में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिए गए एक आदेश में राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होना केवल फिल्मों के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया था, बल्कि यह भी निर्देश दिया गया था कि संरक्षक को लॉक किया जाये ताकि वे अनिवार्य गायन को छोड़ कर जा ना सकें। 23 अक्टूबर को अपनी टिप्पणियों में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने 2016 के फैसले में इस दोष को स्पष्ट किया, 'हमें इस धारणा को क्यों मान लेना चाहिये कि अगर हम सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान नहीं चलते है, तो हम देशभक्त नहीं है?' 2016 के आदेश ने एक असत्यापित और अप्रत्याशित देशभक्ति को दर्शाया है। और एक फिसलन भरी ढ़लान का निर्माण किया। अगर सिनेमा हॉल को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय गान चलाना चाहिए, तो फिर क्यों इसे नाटक और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलाया जाता है (न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने यह प्रश्न पूछा)? इसलिए न्यायालय को अपने आदेश में संशोधन लाते हुए राष्ट्रीय गान को एक विकल्प के रूप में शामिल करना चाहिए।

इस मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है और एकरूपता लाने के लिये देश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्र गान बजाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि क्या सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए और क्या लोगों को इसके लिये खड़ा होना चाहिए।

इस पर न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा, 'आपको ध्वज संहिता में संशोधन करने से कौन रोक रहा है? आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और प्रावधान कर सकते हैं कि राष्ट्रगान कहां बजाया जायेगा और कहां नहीं बजाया जायेगा। आजकल तो यह मैचों, टूर्नामेन्ट और यहां तक कि ओलंपिक में भी बजाया जाता है जहां आधे दर्शक तो इसका मतलब भी नहीं समझते हैं। अदालत को, वास्तव में, अपने 2016 के आदेश को संशोधित करना चाहिए। साथ ही सरकार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड की बात भी सुननी चाहिए। जैसा कि उन्होंने यह भी बताया, सरकार सिनेमा हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों में राष्ट्रीय गान चलाने के विनियमन के सवाल पर विचार कर सकती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड की टिप्पणी हमें यह याद दिलाती है कि देश के लिए प्यार है या नहीं इसके लिए परीक्षण की आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रवाद के प्रतीकात्मक प्रदर्शन, कुछ संदर्भों और स्थानों में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगाती हैं।

संबंधित तथ्य

- सिनेमाघर में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजने से पहले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं हैं।
- इसके साथ ही न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा कि देश भर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन करने पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता है तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि वह कम देशभक्त है।

सिनेमाघरों में टी शर्ट्स और शार्ट्स में ना जाएं

- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने समाज को नैतिक पहरेदारी की आवश्यकता नहीं है जैसी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगली बार सरकार चाहेगी कि लोग सिनेमाघरों में टी शर्ट्स और शार्ट्स में नहीं जाएं क्योंकि इससे राष्ट्रगान का अपमान होगा।

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने पर हो नियंत्रण

- खंडपीठ ने कहा कि केन्द्र सरकार को सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के बारे में उसके पहले के आदेश से प्रभावित हुए बगैर ही इस पर विचार करना होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत एक विविधता वाला देश है। साथ ही एकरूपता लाने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना आवश्यक है।

पीठ अपने आदेश में कर सकती है सुधार

- पीठ ने संकेत दिया कि वह 1 दिसंबर, 2016 के अपने आदेश में सुधार कर सकती है। इसी आदेश के तहत देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के मकसद से सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना और दर्शकों के लिये इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य किया गया था।

राष्ट्रगान का सम्मान मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाता

- न्यायालय ने कहा था कि जब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दर्शाया जाता है, तो यह मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। न्यायालय ने सभी सिनेमाघरों में फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाने के निर्देश के लिए श्याम नारायण चोकसी की जनहित याचिका पर यह निर्देश दिए थे।

सिनेमाघरों में राष्ट्र गान बजाने के दिए आदेश

- वहीं शीर्ष अदालत ने सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान बजाने के लिये पिछले साल श्याम नारायण चोकसी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सख्त टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों के विपरीत, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही पिछले साल 1 दिसंबर को सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाने और दर्शकों को सम्मान में खड़े होने का आदेश दिया था।

पहले भी था नियम

1960 के दौरान भी सिनेमा हॉल में फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाने का नियम था। हालांकि लोग फिल्म खत्म होने के बाद हॉल से फौरन ही निकल जाते थे। लिहाजा सरकार ने यह प्रथा बंद कर दी।

महाराष्ट्र सरकार ने बनाया कानून

2002 में महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाया। राज्य ने यह व्यवस्था की कि सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और मौजूद लोगों को खड़ा होना होगा।

तमिलनाडु में भी शुरुआत

महाराष्ट्र की तर्ज पर तमिलनाडु ने भी इस प्रथा को शुरू करने का प्रयास किया। इस दौरान कई बार लोग राष्ट्रगान बजाते समय खड़े नहीं हुए। इस पर काफी विवाद हुआ। लोग सिनेमा मालिकों के खिलाफ कोर्ट गए। पर मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया।

चर्चित मामला

1985 में ईसाई संप्रदाय के तीन बच्चों ने स्कूल में राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। प्रबंधन ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। बच्चों ने कोर्ट का सहारा लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रगान के समय खड़े होने और इसे गाने की कोई बाध्यता नहीं है।

सजा का प्रावधान नहीं

यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं होता या फिर इसे गाने से मना करता है तो ये दंडनीय नहीं है। हालांकि, यदि राष्ट्रगान गाते वक्त कोई व्यवधान पैदा करता है, तो उसे तीन साल की सजा और जुर्माना देना पड़ सकता है।

पूरा बजना चाहिए राष्ट्रगान

- नागरिक और सैन्य आयोजनों पर
- जब राष्ट्र सलामी देता है
- परेड के दौरान
- जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाए
- रेडियो, टीवी पर राष्ट्रपति के संबोधन के पहले और बाद में
- जब रेजीमेंट के रंग प्रस्तुत किए जाते हैं
- नौसेना के रंगों को फहराने के लिए

अनुच्छेद 51(क)

अधिकारों के साथ कर्तव्य की भावना को बनाए रखने हेतु भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। किसी भी नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके कुछ कर्तव्य देश के प्रति निश्चित हो, वैसे भी यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है, जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्ण विकास संभव हो। मूल कर्तव्य वैसे भी कई विशेषताओं से परिपूर्ण हैं, जहां कुछ स्थानों पर यह नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं तो कुछ स्थानों पर मानवीय मूल्यों को।

हालांकि आरंभ में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया था। अत: संघीय सरकार ने **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा तथा इसे नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 51(क) में स्थान दिया गया।

संभावित प्रश्न

प्र.: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान के संदर्भ में की गई नई टिप्पणी न्यायालय के पूर्व फैसले और केंद्र सरकार के मध्य कोई गतिरोध का निर्माण कर सकता है? चर्चा कीजिए।

Q.: The new comment made by the Supreme Court in the context of national anthem in cinemas can create a deadlock between the court's earlier judgment and the central government? Discuss.

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322